श्री रामायण यादव, संयुक्त सचिव एवं प्रथम अपील प्राधिकारी के समक्ष

(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 के अधीन)

विधि और न्याय मंत्रालय :विधि कार्य विभाग
कमरा सं0 411 ए, "ए" विंग,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001

******

अपील सं0 3/ जेएसएंडएलए(आरवाई)/आईसी/आरटीआई/2015 दिनांक 29/03/2016

के मामले में :

श्री पृथ्वीराज सोनी,
जाजू भवन, गणपति वार्ड,
सर्राफा लाईन, आरवी,
जिला वर्धा, महाराष्ट्र- 442201 .... अपीलार्थी

बनाम

केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी
विधि और न्याय मंत्रालय,
विधि कार्य विभाग,
शास्त्री भवन, ... प्रत्यर्थी
नई दिल्ली -110001

आदेश

दिनांक 29.03.2016

श्री पृथ्वीराज सोनी (यहां इसके पश्चात अपीलार्थी) ने अपने दिनांक 14/12/2015 के आवेदन-पत्र, जिसे उपराष्ट्रपति कार्यालय और प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा हमारे कार्यालय को अंतरित किया गया था, के तहत सरकारी विभागों में शिकायत निवारण तंत्र के बारे में सूचना मांगी थी। विधि कार्य विभाग के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (यहां इसके पश्चात प्रत्यर्थी) ने अपने दिनांक 6/1/2016 के उत्तर के तहत अपीलार्थी को यह सूचना दी थी कि उनके द्वारा मांगी गई सूचना की प्रकृति प्रश्न की कोटि में आती है और वह सूचना का अधिकार अधिनियम के दायरे में नहीं आती है। केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के निर्णय से व्यथित अपीलार्थी द्वारा दिनांक 14/12/2015 को प्रस्तुत अपील दाखिल की गई है।

2. इस मामले में दिनांक 14/03/2016 को पूर्वाह्न 11:00 बजे कमरा संख्या 411 'ए' शास्त्री भवन, नई दिल्ली में सुनवाई निर्धारित की गई थी और इस बारे में दोनों पक्षकारों को नोटिस जारी किया गया था और उन्हें सूचित किया गया था कि यदि कोई भी एक पक्षकार सुनवाई में उपस्थित नहीं हुआ तो भी आगे कार्यवाही की जाएगी और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर मामले का निपटान कर दिया जाएगा। अपीलार्थी सुनवाई में उपस्थित नहीं हुआ और न ही उसके द्वारा अपनी अनुपस्थिति के बारे में कोई लिखित सूचना दी गई।

3. मैंने अपील के ज्ञापन और प्रत्यर्थी द्वारा दी गई सूचना को देख लिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी सरकारी विभागों में शिकायतों के निवारण में विलम्ब होने के कारण व्यथित है। अतः उसके आर.टी.आई. आवेदन-पत्र को कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय को अंतरित किया जाना चाहिए था। तदनुसार, प्रत्यर्थी को निदेश दिया जाता है कि वह इस आदेश के जारी होने की तारीख से 15 दिन के भीतर अपीलार्थी को सूचित करते हुए अपीलार्थी के दिनांक 14/12/2015 के आरटीआई आवेदन-पत्र को कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय को अंतरित करे। तदनुसार, अपील का निपटान किया जाता है।

4. यदि अपीलार्थी इस आदेश से संतुष्ट नहीं है/व्यथित है, तो वह 90 दिन के भीतर माननीय केंद्रीय सूचना आयोग, द्वितीय तल, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 के समक्ष द्वितीय अपील दाखिल कर सकता है ।

रा०या०

(रामायण यादव)

संयुक्त सचिव एवं प्रथम अपील प्राधिकारी

प्रतिलिपि प्रेषितः-

1. श्री पृथ्वीराज सोनी,जाजू भवन, गणपति वार्ड, सर्राफा लाईन, आरवी, जिला वर्धा,महाराष्ट्र- 442201
2. श्री के. गिनखनथंग, उप सचिव एवं केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, विधि कार्य विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
3. अनुभाग अधिकारी, कार्यान्वयन कक्ष, विधि कार्य विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001